झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

पंचम (बजट)-सत्र

वर्ग- 05

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक- 14 फाल्गुन, 1942(श0) .....को 05 मार्च, 2021 (ई0) झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे।

क्रमांक	विभागों को भेजी गयी सां0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1-	2.	3.	4.	5.	6.
103.	अ0सू0-07	श्री मनीष जायसवाल	MCI के मापदण्डों को पूरा करना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	26.02.21
104.	अ0सू0-17	श्री कुमार जयमंगल	मेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	26.02.21
105.	अ0सू0-06	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	ऑनलाईन समस्याओं का निदान।	रा0नि0 एवं भू0सु0	17.02.21
106.	अ0सू0-12	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	निबंधन कार्यालय की स्थापना।	रा0नि0 एवं भू0सु0	26.02.21
107.	अ0सू0-02	श्री बिरंची नारायण	पुनर्वास/ विस्थापन आयोग का गठन।	रा0नि0 एवं भू0सु0	17.02.21
108.	अ0सू0-09	श्री सरयू राय	अधिकारियों पर कार्रवाई।	उत्पाद एवं म0नि0	26.02.21
109.	अ0सू0-01	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	विलम्ब शुल्क की वसूली।	रा0नि0 एवं भू0सु0	17.02.21
110.	अ0सू0-10	श्री विनोद कुमार सिंह	मुआवजा दिलाना।	रा0नि0 एवं भू0सु0	26.02.21
111.	अ0सू0-03	श्री बिरंची नारायण	मेडिकल कॉलेज का निर्माण।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	17.02.21
112.	अ0सू0-14	श्री प्रदीप यादव	मुहल्ला क्लीनिक योजना का संचालन।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	26.02.21

क्रमांक	विभागों को भेजी गयी सं० संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1-	2.	3.	4.	5.	6.
113.	अ०सू०-15	श्री प्रदीप यादव	स्वास्थ्य बीमा योजना,स्वा०चि०शि० लागू करना।	एवं परि०क०	26.02.21
114.	अ०सू०-08	श्री सुदिव्य कुमार	Treatment Plant की स्थापना।	,स्वा०चि०शि० एवं परि०क०	26.02.21

रॉची
दिनांक- 05मार्च, 2021 (ई०)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉची।

ज्ञापांक सं०- झा०वि०स० प्रश्न- 06/2021...750...../वि०स०, रॉची, दिनांक- 01/3/21
प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

01/3/2021
(शरद सहाय)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉची।

ज्ञापांक सं०- झा०वि०स० प्रश्न- 06/2021...750...../वि०स०, रॉची, दिनांक- 01/3/21
प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ निजी सहायक (सचिवीय कार्यालय) को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

01/3/2021
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉची।

ज्ञापांक सं०- झा०वि०स० प्रश्न- 06/2021...750...../वि०स०, रॉची, दिनांक- 01/3/21
प्रति :- कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

01/3/2021
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉची।

चित्रंजन

103

श्री मनीष जायसवाल, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–05.03.21 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0– 07 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि राज्य में 17 फरवरी, 2019 को 03 नये मेडिकल कॉलेज के गठन की स्वीकृति दी गई थी जिसमें एक हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि राज्य में शैक्षणिक सत्र 2019–20 में सभी सरकारी 06 मेडिकल कॉलेजों में MBBS की कुल–580 सीटों पर संबंधित छात्रों का नामांकन ली गई परन्तु वर्ष 2020–21 के सत्र में सिर्फ 03 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मात्र 355 सीटों पर नामांकन ली गई जिसमें हजारीबाग, दुमका एवं पलामू मेडिकल कॉलेजों में MCI के मापदण्ड का अनुपालन नहीं करने के कारण NMC द्वारा उक्त कॉलजो के नामांकन पर रोक लगा दी गई ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3-	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2020–21 में राज्य के 06 सरकारी मेडिकल कॉलेजों की कुल–680 MBBS सीटें दिखाकर NEET की परीक्षा ली गई थी और जब उक्त परीक्षा का परीक्षाफल घोषित हुई तो नामांकन पर रोक लगा दिया गया जिससे उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण राज्य के सैकड़ों अभ्यार्थियों का भविष्य अंधकार में है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–02 में वर्णित कॉलेजों में MCI के मापदण्ड को पूरा करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के विभिन्न विभागों में पी0जी0 बॉण्ड के तहत तथा Walk-In-Interview के माध्यम से कई ट्यूटर/वरीय रेजिडेंट के पद पर कई चिकित्सकों का पदस्थापन किया गया है। सहायक प्राध्यापक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु जे0पी0एस0सी0 को अधियाचना भेजने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। शैक्षणिक संवर्ग के उच्चतर पद यथा प्राध्यापक एवं सह– प्राध्यापक के पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक संविदा के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 9/विधायी–06-03/2021 – 71 (9) राँची, दिनांक– 3/3/21

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र0– 614 दिनांक– 26-02-2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.3.2021
सरकार के अवर सचिव

Tiwari

(104)

श्री कुमार जय मंगल, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 05.03.2021 को सदन में पुछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या– 17 की उत्तर सामग्री।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के जरीडीह प्रखण्ड में गांगाजोरी सहित (5) पाँच अस्पताल, पेटरवार प्रखण्ड के पिछरी, आंगवाली चलकरी सहित (6) छः अस्पताल बेरमो प्रखण्ड मे गोविन्दपुर, कुसरो सहित ए0एन0एम0 स्कूल ढोरी एवं जैनामोड छात्र–छात्राओं (9) नौ स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपकेन्द्र तथा चन्द्रपुरा प्रखण्ड के सिजूआ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्ष 2015–16 से बनकर तैयार है;	आंशिक स्वीकारात्मक। बोकारो जिला के अंतर्गत जरीडीह प्रखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गांगजोरी का भवन वर्तमान में हस्तगत नही है।
2.	क्या यह बात सही है कि अब तक उपर्युक्त सभी स्वास्थ्य केन्द्रों मे चिकित्सक सहित पारा मेडिकल स्टॉफ की नियुक्ति नहीं होने से आमजन को स्वास्थ्य सुविधा के लिए बाहर जाना पड रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। बोकारो जिलान्तर्गत पेटरवार प्रखण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चलकरी में चिकित्सकों के दो पद स्वीकृत है जिसके विरुद्ध दो चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित है। शेष स्वास्थ्य संस्थानों मे चिकित्सकों एवं पारामेडिकल कर्मियों के पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर्युक्त सभी अस्पतालों में चिकित्सक एवं पारा मेडिकल स्टॉफ की प्रतिनियुक्ति करते हुए अस्पताल में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना चाहती है हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

ज्ञाप सं0– 03 / वि0स0–03–03 / 2021 113(3) राँची, दिनांक: 4/3/21

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 615 / वि0स0 दिनांक 26.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/21
सरकार के उप सचिव

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–06 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्री नीलकंठ मुण्डा मा०स०वि०स०	उत्तर माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में ऑनलाईन जमाबंदी का काम सही से नहीं हो पाने के कारण राज्य के भूस्वामियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य के भू–अभिलेखों का डिजिटाईजेशन एवं उसे ऑनलाईन किये जाने में हुई त्रुटियों का निराकरण रैयतों से प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचलों में उपलब्ध कागजात से जांचोपरान्त प्राथमिकता के आधार पर सभी अंचल अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए साल के 365 दिन पोर्टल खुला रखा गया है।
2	क्या यह बात सही है कि ऑनलाईन व्यवस्था का गलत लाभ उठाया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि पंचायतों में आपसी मौखिक बँटवारा में प्राप्त जोत का हिस्सा, भू–स्वामी का वास्तविक दखल हिस्सा दूसरे भू–स्वामी के नाम या उसके पिता के नाम में ऑनलाईन हो जा रहा है;	अस्वीकारात्मक।
4	या यह बात सही है कि कम्प्यूटर ऑपरेटरों द्वारा गलत हिस्सेदारों के नाम पर ज्यादा रकबा दर्ज किया जा रहा है एवं Mutation Case Not Found लिखकर जमाबंदी को भविष्य के लिए संदिग्ध बनाया जा है ;	अस्वीकारात्मक।
	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में ऑनलाईन से संबंधित समस्याओं का निदान शीघ्र करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–01/निदे०अभि० वि०स०(अल्प–सूचित)–10/2021–156/रा०, राँची, दिनांक–04-03-2021

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–43, दिनांक–17.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/ विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/2021
सरकार के अवर सचिव।

13/नि. (विधान सभा) 03 /2021 178/नि०

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रो. स्टीफन मराण्डी, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 05.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या रा.–12 का उत्तर सामग्री

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	प्रो. स्टीफन मराण्डी, मा.स.वि.स.	जोबा मांझी माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची।
1.	क्या यह बात सही है, कि महेशपुर विधान–सभा क्षेत्र के अधिकांश भाग में निवास कर रहे लोगो को अपनी जीविका चलाने के लिए मुख्यरूप से कृषि पर ही आधारित रहना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि कृषि के साथ ही Saleable land उपलब्ध रहने के कारण भी उस क्षेत्र के निवासियों को जमीन की खरीद बिक्री या जमीन से जुड़े किसी भी का समस्त कार्य के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से समय की बर्बादी के अलावे अधिक बोझ भी बहन करना पड़ता है ;	अंशिक रूप से स्वीकारात्मक:–
3.	क्या यह बात सही है, कि प्रखण्ड मुख्यालय महेशपुर में एक निबंधन कार्यालय की स्थापना हो जाने से उस कृषि बाहुल्य क्षेत्र के निवासियों को काफी सहुलियत हो जायेगी ;	महेशपुर अंचल से संबंधित दस्तावेजों का निबंधन कम संख्या में होता है। इस संबंध में उपायुक्त–सह–जिला निबंधक, पाकुड़ के पत्रांक–30, दिनांक–03.03.2021 के द्वारा विगत तीन वर्षों में महेशपुर अंचल से संबंधित निबंधित दस्तावेजों की संख्या एवं इनसे प्राप्त राजस्व के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई गई है जो निम्नवत है:– क्र.सं. | वर्ष | निबंधित दस्तावेजों की संख्या | प्राप्त राजस्व (लाख में) 1 | 2018 | 726 | 87.53 2 | 2019 | 492 | 61.92 3 | 2020 | 698 | 75.63 उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि महेशपुर अंचल से संबंधित निबंधन हेतु प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों की संख्या तथा इनके निबंधन से प्राप्त राजस्व अधिक नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रखण्ड मुख्यालय महेशपुर में एक निबंधन कार्यालय की स्थापना का इरादा रखती है हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	चूंकि महेशपुर अंचल में प्रतिवर्ष निबंधित होने वाले दस्तावेजों की संख्या मात्र 800 (आठ सौ) के आसपास है तथा इनके निबंधन से प्रतिवर्ष एक करोड़ रूपये की भी राशि राजस्व के रूप में प्राप्त नहीं होती है, ऐसी स्थिति में महेशपुर अंचल में निबंधन कार्यालय खोलना उचित प्रतीत नहीं होता है।

P.T.O

ज्ञापांक :– 13/नि. (विधान सभा)03/2021 178/नि० राँची, दिनांक 4.3.2021
प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक सं.प्र.585, दिनांक–26.02.2021के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ (दो सौ प्रति के साथ) प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 13/नि. (विधान सभा) 03/2021 178/नि० राँची, दिनांक 4.3.2021
प्रतिलिपि:– माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव,को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(107)

श्री बिरंची नारायण, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–02 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न		उत्तर
	श्री बिरंची नारायण, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो में बोकारो इस्पात संयंत्र के स्थापना हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया है;		स्वीकारात्मक। बोकारो इस्पात संयंत्र के स्थापना हेतु बोकारो एवं गढ़वा जिला अन्तर्गत 62 मौजों में कुल 29827.02 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि भूमि अधिग्रहण से कई परिवार विस्थापित हुए हैं और आज भी वर्तमान में कई ऐसे विस्थापित परिवार हैं, जिन्हें उनके भूमि अधिग्रहण के एवज में आज तक पूर्ण मुआवजा की राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है;		आंशिक स्वीकारात्मक। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को मूल मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है। उक्त मुआवजा पर माननीय सक्षम न्यायालयों द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुपालन में बढ़ोतरी राशि का भुगतान किया जा रहा है। L.A. Ref. Case No.-143/90 पानु महतो, L.A. Ref. Case No.-1/98 प्रयाग चन्द्र केजरीवाल, L.A. Ref. Case No.-48/46 माथुर तेली बनाम् झारखण्ड सरकार एवं अन्य में भू–अर्जन न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील विचाराधीन रहने के कारण भुगतान स्थगित है।
3.	क्या यह बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत बजट सत्र, 2020 में राज्य के विस्थापितों को न्याय देने हेतु पुनर्वासन आयोग/विस्थापन आयोग के गठन की घोषणा की है ;		वस्तुस्थिति यह है कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पुनर्वास आयोग/विस्थापन आयोग के गठन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, जो निर्णयाधीन है।
4.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान सरकार भी विस्थापन की समस्या झेल रहे झारखण्ड के सभी विस्थापित लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए एक सशक्त पुनर्वास आयोग/विस्थापन आयोग का गठन करवाने हेतु कृत–संकल्पित है, जो विस्थापितों की सभी समस्याओं का पुनर्वालोकन कर समाधान करेगा ;		उपर्युक्त कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड के समस्त विस्थापितों के हित में पुनर्वास आयोग/विस्थापन आयोग का गठन करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपर्युक्त कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

कृ.पृ.उ.

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–8बी. / भू.अ.नि.वि.स.(अ.सू.)–29 / 2021 109 (8) / नि.रा., राँची, दिनांक–04-03-2021
प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–41 / वि.स., दिनांक–17.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/21
सरकार के अवर सचिव।

(108)

श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 05.03.2021 को पूछा जाने वाला अ०सू०– 09 का उत्तर

क्र0	प्रश्नकर्त्ता– श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता– श्री निशिलेश कुमार ठाकुर, माननीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर पूर्व विधान सभा क्षेत्र में शराब की कुल 44 खुदरा दुकाने उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के ज्ञाप संख्या 185/उ0 दिनांक 23.02.2019 द्वारा बंदोबस्त की गई है;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि ये शराब दुकाने संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उत्पाद अधिनियम की धारा– 47 के अनुरूप आपत्तिरहित स्थल संबंधी पूर्ण विवरण उपलब्ध कराये जाने के उपरांत आवंटित की गई है;	स्वीकारात्मक खुदरा उत्पाद दुकानों के आवंटन हेतु संचालित लॉटरी/ई–लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने वाले आवेदकों द्वारा आवेदन के समय "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018" के नियम 13 (ii) के तहत अभिप्रमाणित शपथ पत्र समर्पित किया जाता है, जिसमें निम्नांकित तथ्य का उल्लेख होता है – *"यह कि समय–समय पर यथा संशोधित झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु आपत्तिरहित उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराये पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबंध कर सकता है एवं परिसर नहीं प्राप्त करने की स्थिति के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।"* "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018" के नियम 22 (1) में निम्न प्रावधान निरूपित किये गये हैं – *"लॉटरी में सफल अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस दुकान के लिए सात दिनों के अंदर आपत्तिरहित स्थल, प्रस्तावित दुकान परिसर के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ जिला उत्पाद कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा। स्थल की स्वीकृति/अस्वीकृति से संबंधित निर्णय आवेदन प्राप्ति के अधिकतम 7 दिनों के अंदर अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा ले लिया जायेगा, अन्यथा स्थल अनुमोदन में हुए विलंब के कारण हुई राजस्व क्षति के लिए अनुज्ञप्ति पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। जिला समाहर्त्ता/उपायुक्त द्वारा अनुमोदित स्थल पर ही दुकान खोली जायेगी।"* तदनुसार लॉटरी/ई–लॉटरी प्रक्रिया में सफल आवेदक द्वारा स्थल संबंधी किरायानामा/एकरारनामा व बिजली बिल के आधार पर निरीक्षी पदाधिकारी के जांचोपरांत उत्पाद अधिनियम के

		तहत राज्य सरकार द्वारा बनायी गई स्थल संबंधी नियम 47 के अनुरूप आपत्ति रहित स्थल पाये जाने पर उपायुक्त द्वारा स्थल अनुमोदित है।
3	क्या यह बात सही है कि प्रायः सभी अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये गये स्थल आपत्ति रहित होने का प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी, जमशेदपुर की जाँच में फर्जी पाये गये हैं;	अंचल अधिकारी, जमशेदपुर के प्रतिवेदन में सभी स्थलों को टाटा टिस्को लीज बताया गया है। जमशेदपुर शहर का अधिकांश भाग लीज की भूमि है। सभी प्रकार के अधिकांश व्यवसायिक प्रतिष्ठान इसी लीज भूमि पर ही वर्षों से संचालित है।
4	क्या यह बात सही है कि स्थल अनापत्ति रहित होने का प्रमाण फर्जी होने की जानकारी फरवरी, 2020 में हो जाने के बावजूद सक्षम पदाधिकारियों ने इनके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की और यह अवैध दुकानें अभी भी चल रही है;	स्थल संबंधी किरायानामा/एकरारनामा व बिजली बिल के आधार पर निरीक्षी पदाधिकारी के जांचोपरांत उत्पाद अधिनियम की नियम– 47 के अनुरूप आपत्ति रहित स्थल पाये जाने पर तत्कालीन उपायुक्त द्वारा स्थल अनुमोदित है। वर्तमान समय में विगत वर्षों के प्रचलित व्यवस्था के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों के स्थल का अनुमोदन जिला के उत्पाद पदाधिकारी की अनुशंसा पर जिला के उपायुक्त द्वारा किया जाता है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दुकान स्थल का फर्जी आपत्ति रहित प्रमाण देने वाले अनुज्ञप्तिधारियों और इन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पूर्वी सिंहभूम जिला का जमशेदपुर शहर उत्पाद राजस्व संग्रहण के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। राजस्व हित में विगत वर्षों की भांति दुकानों के स्थल का अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा किया गया है।

झारखंड सरकार,
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

ज्ञापांक :– 04/विधायी–04–14/2021– 409 / राँची दिनांक 03/03/2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय के ज्ञाप सं0 प्र.–586/वि0स0 दिनांक 26.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.3.21

(वीरेन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीया स०वि०स० द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–01 का प्रश्नोत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती दीपिक, माननीया स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिले में म्यूटेशन के 15 हजार मामले सहित पूरे राज्य भर में 2 लाख मामले लंबित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। दिनांक–23.02.2021 तक जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार राँची जिला में दाखिल–खारिज के 14335 मामले सहित पुरे राज्य में कुल–62674 मामले लंबित हैं।
2	क्या यह बात सही है कि सेवा गारंटी अधिनियम के तहत म्यूटेशन से संबंधित आवेदनों में नन ऑबजेक्शबेल मामलों को 30 दिन व ऑब्जेक्शनेबल मामले को 90 दिनों में निष्पादित करने का प्रावधान है, ऐसा नहीं करने पर प्रति मामले 250 रूपये की दर से बिलम्ब शुल्क की गणना की जाती है ;	स्वीकारात्मक। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–11086, दिनांक–29.12.2015 द्वारा झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अंतर्गत दाखिल–खारिज वादों के निष्पादन हेतु समय–सीमा अधिसूचित किया गया है। **दाखिल–खारिज सेवा के लिए नियत–समय सीमा की विवरणी इस प्रकार है :–**

Services	Designated Officer	Time limit	1st Appellate Authority	Time limit for Disposal of 1st Appeal	2nd Appellate Authority	Time limit fo disposal of 2nd Appeal
दाखिल–खारिज वादों का निष्पादन –आपत्ति रहित वाद	अंचल अधिकारी	30 days	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता	30 days	समाहर्त्ता /अपर समाहर्त्ता	30 days
दाखिल–खारिज वादों का निष्पादन–वाद जिसमें आपत्ति दाखिल की गयी हो।	अंचल अधिकारी	90 days	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता	30 days	समाहर्त्ता /अपर समाहर्त्ता	30 days
दाखिल–खारिज वादों का निष्पादन– अंतिम आदेश की तिथि के प्रभाव से संशोधन पर्ची का निर्गमन	अंचल अधिकारी	03 days	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता	30 days	समाहर्त्ता /अपर समाहर्त्ता	30 days

झारखण्ड सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा–7 में अर्थदण्ड के प्रावधान का उल्लेख किया गया है।

3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के जनता के हित में लंबित पड़े म्यूटेशन से संबंधित आवेदन का निष्पादन सेवा गारंटी अधिनियम में किये गये प्रावधानानुसार करने तथा लंबित मामले में बिलंब शुल्क की वसूली कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विलंब शुल्क की वसूली से संबंधित मामले अबतक विभाग के संज्ञान में नहीं आये हैं। संज्ञान में आने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–1039, दिनांक–04.03.2021 द्वारा पत्र निर्गत किया गया है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 6 / वि0स0(अ0सू0)–64 / 2021...1061 / रा0, दिनांक–04-03-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–40 वि0स0, दिनांक–17.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2021

सरकार के अपर सचिव।

F:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

110

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–05.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–10 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बगोदर अंचल में NH-2 में चौड़ीकरण में रैयतों की गैर मजरूआ भूमि भी अधिगृहीत की गयी है ;	अस्वीकारात्मक। रैयतों की रैयती भूमि का अधिग्रहण किया गया है तथा गैरमजरूआ भूमि का NHAI को निःशुल्क हस्तांतरण किया गया है।
2	क्या यह बात सही है उन रैयतों को मुआवजा नहीं दिया गया है, जिनकी गैर मजरूआ भूमि पर 1946 के पूर्व से बंदोबस्ती एवं दखलकार है, साथ ही जिनकी बंदोबस्ती सरकार के द्वारा की गयी है, उन्हें भी मुआवजा नहीं मिला है ;	अस्वीकारात्मक। सरकारी भूमि पर अवस्थित निजी संरचनाओं की मुआवजा राशि का नियमानुसार भुगतान किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त दोनों श्रेणी के रैयतों को NHAI से मुआवजा दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 5 / स०भू० वि०स० गिरिडीह (अ०सू०)–43 / 2021 1052(5) / रा० राँची, दिनांक 04-03-2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप सं०–584 / वि०स०, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची / माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/21

सरकार के अवर सचिव

श्री बिरंची नारायण, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 05.03.2021 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0– 03 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि बजट सत्र, 2016 में माननीय मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बोकारो में मेडिकल कॉलेज निर्माण की घोषणा के बाद बोकारो में मेडिकल कॉलेज निर्माण हेतु स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने 25 एकड़ भूमि जिला प्रशासन बोकारो को हस्तांतरित कर दिया गया है ;		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है, कि बोकारो में मेडिकल कॉलेज निर्माण होने से यहाँ के आस–पास की आबादी को स्वास्थ्य सुविधा के साथ–साथ पूरे राज्य के विद्यार्थियों को मेडिकल की पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त होगा ;		स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत जिला रेफरल अस्पतालों से संबद्ध कर नये मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की योजना के तहत कोडरमा, बोकारो एवं चाईबासा की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था। परन्तु केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत ब्लॉक 1 के अन्तर्गत कोडरमा (करमा) एवं ब्लॉक–2 के तहत प0 सिंहभूम के चाईबासा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई है। जिसमें बोकारो जिला की योजना को शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए बोकारो इस्पात संयंत्र से 25.00 एकड़ चिन्हित भूमि पर राज्य सरकार के दखल हेतु अपर समाहर्ता, बोकारो के पत्रांक– 1191/रा0 दिनांक–04.06.2020 द्वारा अंचल अधिकारी, चास को निदेशित किया गया है। दखल के उपरांत स्वास्थ्य विभाग को भूमि हस्तांतरण होने के बाद मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (अ0सू0)– 03/21– 158(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 01.03.2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 35/वि0स0, दिनांक– 17.02.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/2021

अवर सचिव।

112

श्री प्रदीप यादव, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 05.03.2021 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–स0– 14 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
(1) क्या यह बात सही है कि शहरी क्षेत्र के स्लम क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए राज्य में कुल 100 मुहल्ला क्लीनिक की योजना का संचालन हो रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभाग द्वारा कुल 100 मुहल्ला क्लीनिक के स्थापना हेतु स्वीकृति दी गई है। मुहल्ला क्लीनिक स्थापित करने हेतु अबतक 98 स्थल की सूची नगर विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से 87 मुहल्ला क्लीनिक स्थापित की जा चुकी है। शेष 13 मुहल्ला क्लीनिक की स्थापना प्रक्रियाधीन है।
(2) क्या यह बात सही है कि चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सीय सुविधा के अभाव में आमजनों को इस योजना का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि 63 मुहल्ला क्लीनिक में सूचीबद्ध चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायी जा रही है। शेष 37 मुहल्ला क्लीनिक हेतु चिकित्सकों के चिन्हितीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त महत्वपूर्ण योजना को प्रभावी ढंग से संचालन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (अ0सू0)– 06/2021– 206 (6) स्वा0, राँची, दिनांक: 03·03·2021.

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–617/वि0स0, दिनांक–26.02.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/2021
अवर सचिव।

(113)

(32)

श्री प्रदीप यादव, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 05.03.2021 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–15 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020–21 में आयुष्मान भारत योजना के अनुरूप APL परिवारों को भी 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना मद से कराये जाने का प्रस्ताव दिया है ;		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि इस योजना को पूरी तरह लागू होने के बाद 92% आबादी बीमा योजना से आच्छादित हो जायेगी ;		स्वीकारात्मक। वर्तमान में यह योजना 5715528 परिवारों एवं 26306595 लाभुकों के लिए लक्षित है। योजनान्तर्गत आच्छादित हेतु खाद्य आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0) विभाग द्वारा APL परिवारों का Database तैयार किया जाना है, इसके उपरांत APL Database के चिन्हित लाभुकों को सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप आयुष्मान योजना अन्तर्गत आच्छादित करने की कार्रवाई की जायेगी।
3. क्या यह बात सही है कि इस योजना का प्रभावशाली ढ़ग से क्रियान्वयन न होने के कारण आम जन इस सुविधा से वंचित है ;		अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि यह योजना 23 सितम्बर 2018 से राज्य में संचालित है। अब तक योजनान्तर्गत कुल 787598 लाभुकों ने योजना का लाभ प्राप्त किया है, जिसकी दावा भुगतान की राशि 5852840744 है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त योजना को प्रभावी ढ़ग से लागू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपरोक्त वर्णित कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–13/वि0स0– 07–03/2021– 28(13) स्वा0, राँची, दिनांक 04/03/2021

प्रतिलिपि अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–38/वि0स0, दिनांक–17.02.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/21
अवर सचिव।

श्री सुदव्य कुमार, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 05.03.2021 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0– 08 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन 114

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि गिरिडीह जिला सहित पूरे राज्य में Bio medical waste treatment plant नहीं होने के कारण Bio medical waste का निष्पादन कुछ जिलों में Common treatment facility तथा कुछ जिले में Deep Burial pit एवं Sharp pit के द्वारा किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है, कि Bio medical waste प्रकृति के लिए काफी हानिकारक है और इससे संक्रमण का खतरा रहता है ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में राज्य के प्रत्येक जिले में Bio medical waste treatment plant स्थापित करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में राज्य में कुल 4 Common Bio Medical Waste Treatment facility (CBMWTF) कार्यरत है जिनके द्वारा विभिन्न जिलों में Bio Medical Waste के उठाव एवं निस्तारण का कार्य किया जा रहा है, जो निम्नवत् है:– 1. M/s Medicare CBMWTF द्वारा गढ़वा, खूँटी, राँची, पलामू, सिमडेगा, गुमला, लातेहार एवं लोहरदगा जिलों में सेवाएं दी जा रही है। 2. M/s Adityapur Waste Management CBMWTF द्वारा सरायकेला, प0 सिंहभूम एवं पू0 सिंहभूम जिलों में सेवाएं दी जा रही है। 3. M/s Biogenetic Pvt. Ltd., Ramgarh CBMWTF द्वारा हजारीबाग, रामगढ़ एवं बोकारो जिलों में सेवाएं दी जा रही है। 4. M/s Biogenetic Pvt. Ltd., Dhanbad CBMWTF द्वारा कोडरमा एवं धनबाद जिलों में सेवाएं दी जा रही है। साथ ही निकट भविष्य में M/s Green Land Waste Management CBMWTF द्वारा शेष जिलों यथा – पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, साहेबगंज एवं गोड्डा जिलों में उक्त सेवा आरंभ की जाएगी। सिविल सर्जन, गिरिडीह से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्तमान में विभागीय स्तर से अधिष्ठापित इन्सीनेटर को बनाकर सदर अस्पताल गिरिडीह एवं मातृ शिशु स्वास्थ्य इकाई, चैताडीह, गिरिडीह के Bio Medical waste का निःशुल्क निस्तारित करने के शर्त पर प्रतिदिन लगभग 6 से 7 Kg Bio Medical waste का निस्तारण इन्सीनेटर द्वारा मेसर्स बी0एम0डब्लू सर्विसेज, भण्डारीडीह, गिरिडीह के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही धनबाद जिला में अवस्थित एजेन्सी M/s Biogenetic Pvt. Ltd., Dhanbad CBMWTF द्वारा भी गिरिडीह जिले में सेवाएँ दी जा रही है। भविष्य में इस सेवा के लाभ का विस्तार सम्पूर्ण जिले में करने का योजना तैयार किया जा रहा है जिससे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के द्वारा उत्सर्जित Bio Medical waste का निस्तारण इन्सीनेटर द्वारा करते हुए परिवेश को स्वच्छ बनाया जा सके।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (अ0प्र0)– 15/21– 221(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 04.03.2021

प्रतिलिपि अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 618/वि0स0, दिनांक– 26.02.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/2021
अवर सचिव।